

FORM NO. III

APP-A

फर्द अहकाम

crim-I

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

भंवरलाल बनाम जगदीश वर्मा

किस्म मुकदमा 136 LR Act नं. 51/प्राप पत्र सन् 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16/2/2023	वाद पत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act द्वारा वकील श्री राजलाल वर्मा A/o. पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट को अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दिनांक 14/5/2023 को पेश हो।	
8-5-23	पत्रावली पेशासन गांवो के संग अभियान 26/23 के तहत चिन्हित की गई है। अतः पत्रावली केम्प दिनांक 11.5.23 को पेश हो।	
11.5.23	पत्रावली पेशासन गांवो के संग अभियान 26/23 के तहत आज केम्प पुनर्निर्माण में पेश हुई। पत्रावली पूर्वदिशानुसार नियत तिथि 18.7.23 को पेश हो।	
18.7.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पद्मकारान उप ही अप्रार्थीगण से। लगायत 8 की और से वकील श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट को अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रकरण में शुद्धि दर्ज कर हिस्सा दुरुस्त कर दिया गया है। अतः पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दारिखल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)